

विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, 2023 के परिप्रेक्ष्य में समावेशी शिक्षा: सिद्धांत, प्रावधान एवं क्रियान्वयन की चुनौतियाँ

नवीन कुमार¹, डॉ. नीतू सिंह²

¹रिसर्च स्कॉलर, शिक्षाशास्त्र विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ,

²एसोसिएट प्रोफेसर, शिक्षाशास्त्र विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ,

¹Email: nvkumar1000@gmail.com, ²Email: neetu_stp@rediffmail.com

¹ORCID ID: 0009-0007-1166-2834, ²ORCID ID: 0009-0006-2836-3016



Received 01 August 2026

Accepted 08 August 2026

Published 14 August 2026

Corresponding Author:

नवीन कुमार

Email: nvkumar1000@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.64880/pcjaict.v1i4.02>

Funding: This research received no specifics grant from any funding agency in the public, commercial, or not-for-profit sector.

Copyright: © 2026 The Author(s).



This is an open access article under the [Creative Commons Attribution-Noncommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

OPEN ACCESS

शोध सार:

प्रस्तुत शोध-पत्र विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, 2023 के परिप्रेक्ष्य में समावेशी शिक्षा: सिद्धांत, प्रावधान एवं क्रियान्वयन की चुनौतियाँ विषय पर आधारित है। वर्तमान समय में समावेशी शिक्षा भारतीय विद्यालयी शिक्षा की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता बन चुकी है। इसका उद्देश्य प्रत्येक शिक्षार्थी को उसकी सामाजिक, आर्थिक, भाषाई, सांस्कृतिक, लैंगिक अथवा शारीरिक-मानसिक भिन्नताओं के बावजूद समान, सुलभ एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप विकसित राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (NCF-SE 2023) समावेशी, न्यायपूर्ण तथा शिक्षार्थी-केंद्रित शिक्षा व्यवस्था के निर्माण पर विशेष बल देती है। इस शोध का उद्देश्य NCF-SE 2023 में निहित समावेशी शिक्षा की अवधारणा एवं सिद्धांतों का अध्ययन करना, समावेशी शिक्षा से संबंधित प्रमुख प्रावधानों का विश्लेषण करना, इसके क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियों का परीक्षण करना तथा प्रभावी कार्यान्वयन हेतु व्यावहारिक सुझाव प्रस्तुत करना है। अध्ययन गुणात्मक अनुसंधान दृष्टिकोण पर आधारित है, जिसमें वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक पद्धति का उपयोग किया गया है। शोध के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (NCF-SE 2023), राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016, यूनेस्को की रिपोर्टें, शोध-पत्रों, पुस्तकों तथा अन्य प्रामाणिक प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोतों से सामग्री संकलित की गई है। प्राप्त तथ्यों का विषयवस्तु विश्लेषण के माध्यम से अध्ययन किया गया। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि NCF-SE 2023 समावेशी शिक्षा को केवल दिव्यांग विद्यार्थियों तक सीमित नहीं रखती, बल्कि प्रत्येक शिक्षार्थी की विविध आवश्यकताओं, क्षमताओं एवं अधिगम शैली का सम्मान करने वाली शिक्षा व्यवस्था का समर्थन करती है। इसमें समानता, विविधता का सम्मान, शिक्षार्थी-केंद्रित शिक्षण, सार्वभौमिक अधिगम अभिकल्प, बहुभाषिकता, लचीले मूल्यांकन तथा सहयोगात्मक अधिगम जैसे सिद्धांतों को विशेष महत्व दिया गया है। साथ ही, शिक्षक प्रशिक्षण, सहायक प्रौद्योगिकी, सुलभ अवसंरचना तथा समुदाय की सहभागिता को समावेशी शिक्षा की सफलता के लिए आवश्यक माना गया है। शोध में यह भी पाया गया कि NCF-SE 2023 के प्रभावी क्रियान्वयन में प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी, संसाधनों एवं आधारभूत सुविधाओं का अभाव, सामाजिक पूर्वाग्रह, बड़ी कक्षाएँ, सीमित वित्तीय सहायता तथा नीति और व्यवहार के बीच अंतर जैसी चुनौतियाँ विद्यमान हैं। इन समस्याओं के समाधान हेतु सतत शिक्षक प्रशिक्षण, समावेशी विद्यालयी वातावरण, पर्याप्त संसाधनों की उपलब्धता, सहायक प्रौद्योगिकी का विस्तार, प्रभावी निगरानी तथा अभिभावकों एवं समुदाय की सक्रिय सहभागिता आवश्यक है। निष्कर्षतः, NCF-SE 2023 भारतीय विद्यालयी शिक्षा को अधिक समतामूलक, न्यायसंगत एवं समावेशी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसकी सफलता प्रभावी क्रियान्वयन, संस्थागत सहयोग तथा सभी हितधारकों की सक्रिय भागीदारी पर निर्भर करती है।

मुख्य शब्द: समावेशी शिक्षा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (NCF-SE 2023), समावेशी विद्यालयी शिक्षा, समावेशी शिक्षा के सिद्धांत, समावेशी शिक्षा का क्रियान्वयन।

How to Cite this article: कुमार, नवीन. सिंह, डॉ. नीतू. (2006) विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, 2023 के परिप्रेक्ष्य में समावेशी शिक्षा: सिद्धांत, प्रावधान एवं क्रियान्वयन की चुनौतियाँ. The Paradigm Chronicle Journal of Academic Inquiry & Critical Thought, Page No. 12-18.

DOI: <https://doi.org/10.64880/pcjaict.v1i4.02>

प्रस्तावना

वर्तमान समय में शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञानार्जन तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि प्रत्येक शिक्षार्थी को उसकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं, क्षमताओं, रुचियों तथा सामाजिक-सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के अनुरूप समान एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना भी है। इसी दृष्टिकोण से समावेशी शिक्षा की अवधारणा वैश्विक तथा राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा सुधार का एक प्रमुख आधार बनकर उभरी है। समावेशी शिक्षा का मूल उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि दिव्यांग, वंचित, सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े, जनजातीय, भाषाई अल्पसंख्यक तथा अन्य सभी प्रकार के शिक्षार्थी बिना किसी भेदभाव के समान अवसरों के साथ विद्यालयी शिक्षा में सहभागी बन सकें। (यूनेस्को, 2020)।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 समतामूलक एवं समावेशी शिक्षा व्यवस्था के निर्माण पर विशेष बल देती है (भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय, 2020)। इसी नीति के अनुरूप राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (विद्यालयी शिक्षा)-2023 शिक्षार्थी-केंद्रित, बहुभाषिक एवं समावेशी शिक्षण व्यवस्था का समर्थन करती है (एनसीईआरटी, 2023)। यह रूपरेखा विविधता को शिक्षा की शक्ति मानते हुए ऐसे पाठ्यक्रम, शिक्षण-अधिगम प्रक्रियाओं, मूल्यांकन पद्धतियों तथा विद्यालयी वातावरण की वकालत करती है, जो प्रत्येक शिक्षार्थी की आवश्यकताओं और सीखने की गति का सम्मान करें। इसमें सार्वभौमिक अधिगम अभिकल्प, अनुकूलित शिक्षण, सहयोगात्मक अधिगम तथा शिक्षक की संवेदनशील भूमिका को विशेष महत्व दिया गया है।

यद्यपि NCF-SE 2023 समावेशी शिक्षा के लिए स्पष्ट सिद्धांत एवं दिशा-निर्देश प्रस्तुत करती है, तथापि इनके प्रभावी क्रियान्वयन में प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी, संसाधनों का अभाव, अवसरचनात्मक सीमाएँ, बड़े कक्षा आकार तथा सामाजिक दृष्टिकोण जैसी अनेक चुनौतियाँ विद्यमान हैं। इन चुनौतियों का समाधान किए बिना समावेशी शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ण प्राप्ति संभव नहीं है। प्रस्तुत शोध-पत्र में NCF-SE 2023 के परिप्रेक्ष्य में समावेशी शिक्षा की अवधारणा, इसके प्रमुख प्रावधानों तथा क्रियान्वयन संबंधी चुनौतियों का विश्लेषण करते हुए प्रभावी कार्यान्वयन हेतु व्यावहारिक सुझाव प्रस्तुत किए गए हैं।

उद्देश्य

1. राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (NCF-SE 2023) में समावेशी शिक्षा की अवधारणा एवं सिद्धांतों का अध्ययन करना।
2. NCF-SE 2023 में समावेशी शिक्षा से संबंधित प्रमुख प्रावधानों का विश्लेषण करना।
3. समावेशी शिक्षा के क्रियान्वयन में आने वाली प्रमुख चुनौतियों का परीक्षण करना।
4. NCF-SE 2023 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु व्यावहारिक सुझाव प्रस्तुत करना।

शोध-पद्धति

प्रस्तुत शोध-पत्र गुणात्मक शोध दृष्टिकोण पर आधारित है। इसमें विश्लेषणात्मक शोध-विधि का उपयोग किया गया है। अध्ययन में प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोतों से प्राप्त सामग्री का विषयवस्तु विश्लेषण एवं दस्तावेज़ विश्लेषण के माध्यम से अध्ययन किया गया है।

प्रदत्तों के स्रोत

प्रस्तुत अध्ययन प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोतों पर आधारित है। अध्ययन के लिए सामग्री विभिन्न पुस्तकों, शोध-पत्रों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा-निर्देशों, शिक्षा मंत्रालय, यूनेस्को, ओईसीडी, विश्व आर्थिक मंच, एआईसीटीई तथा अन्य प्रामाणिक सरकारी एवं शैक्षिक संस्थाओं की रिपोर्टों, ई-संसाधनों तथा आधिकारिक प्रकाशनों से संकलित की गई है।

विश्लेषण एवं चर्चा -

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (NCF-SE 2023) के परिप्रेक्ष्य में समावेशी शिक्षा की अवधारणा एवं सिद्धांत

समावेशी शिक्षा ऐसी शिक्षा व्यवस्था है, जिसमें प्रत्येक शिक्षार्थी को उसकी सामाजिक, आर्थिक, भाषाई, सांस्कृतिक, लैंगिक अथवा शारीरिक-मानसिक भिन्नताओं के बावजूद समान अवसरों के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (NCF-SE 2023) समावेशी शिक्षा को

केवल दिव्यांग विद्यार्थियों तक सीमित नहीं मानती, बल्कि प्रत्येक शिक्षार्थी की विविध आवश्यकताओं, क्षमताओं एवं सीखने की गति का सम्मान करने वाली शिक्षा व्यवस्था के रूप में परिभाषित करती है। इसका उद्देश्य ऐसा विद्यालयी वातावरण विकसित करना है जहाँ प्रत्येक विद्यार्थी सम्मान, समानता और सहभागिता का अनुभव कर सके। NCF-SE 2023 में समावेशी शिक्षा निम्नलिखित प्रमुख सिद्धांतों पर आधारित है—

1. समानता एवं न्याय

NCF-SE 2023 के अनुसार प्रत्येक शिक्षार्थी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का समान अधिकार है। समानता का अर्थ सभी को एक जैसी शिक्षा देना नहीं, बल्कि उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप उपयुक्त अवसर, संसाधन एवं सहयोग उपलब्ध कराना है। यह सिद्धांत सामाजिक, आर्थिक, लैंगिक तथा भौगोलिक असमानताओं को कम करने और शिक्षा में न्यायपूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करने पर बल देता है।

2. विविधता का सम्मान

रूपरेखा प्रत्येक विद्यार्थी की भाषा, संस्कृति, क्षमता, रुचि, सामाजिक पृष्ठभूमि तथा सीखने की शैली को शिक्षा की शक्ति मानती है। समावेशी कक्षा में विविधता को समस्या नहीं, बल्कि सीखने के समृद्ध अवसर के रूप में स्वीकार किया जाता है। इससे विद्यार्थियों में सहिष्णुता, सहयोग, संवेदनशीलता तथा लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास होता है।

3. शिक्षार्थी-केंद्रित एवं लचीला अधिगम

NCF-SE 2023 शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया को शिक्षार्थी की आवश्यकताओं, रुचियों एवं अधिगम गति के अनुरूप बनाने पर बल देती है। इसके अंतर्गत विविध शिक्षण विधियों, गतिविधि-आधारित अधिगम, अनुभवात्मक शिक्षण तथा लचीले मूल्यांकन को प्रोत्साहित किया गया है, ताकि प्रत्येक शिक्षार्थी अपनी क्षमता के अनुसार सीख सके।

4. सार्वभौमिक अधिगम अभिकल्प

समावेशी शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत UDL है, जिसके अनुसार पाठ्यक्रम, शिक्षण सामग्री, अधिगम गतिविधियाँ तथा मूल्यांकन इस प्रकार तैयार किए जाएँ कि सभी शिक्षार्थी बिना किसी बाधा के सीख सकें। इसमें जानकारी प्रस्तुत करने, अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करने तथा सहभागिता बढ़ाने के लिए अनेक विकल्प उपलब्ध कराए जाते हैं।

5. सहभागिता एवं सहयोग

NCF-SE 2023 समावेशी शिक्षा को केवल शिक्षक का दायित्व नहीं मानती, बल्कि इसमें अभिभावकों, विद्यालय, समुदाय, विशेष शिक्षकों, परामर्शदाताओं तथा स्थानीय संस्थाओं की सक्रिय सहभागिता को आवश्यक मानती है। सहयोगात्मक प्रयासों से शिक्षार्थियों के लिए सहायक एवं समावेशी अधिगम वातावरण निर्मित होता है तथा उनकी विविध आवश्यकताओं की प्रभावी पूर्ति संभव होती है।

6. गरिमा, संवेदनशीलता एवं भेदभाव-रहित वातावरण

समावेशी शिक्षा का अंतिम एवं महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रत्येक शिक्षार्थी की गरिमा का सम्मान करना है। NCF-SE 2023 ऐसा विद्यालयी वातावरण विकसित करने पर बल देती है जहाँ किसी भी विद्यार्थी के साथ उसकी दिव्यांगता, लिंग, भाषा, जाति, धर्म या सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर कोई भेदभाव न हो। संवेदनशील एवं सुरक्षित वातावरण विद्यार्थियों में आत्मविश्वास, आत्मसम्मान तथा सीखने की प्रेरणा को सुदृढ़ करता है।

NCF-SE 2023 में समावेशी शिक्षा से संबंधित प्रमुख प्रावधानों का विश्लेषण

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (NCF-SE 2023) समावेशी शिक्षा को विद्यालयी शिक्षा का मूल आधार मानते हुए प्रत्येक शिक्षार्थी की विविध आवश्यकताओं को ध्यान में रखने पर बल देती है। इसके अनुसार पाठ्यचर्या, शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया एवं मूल्यांकन को इस प्रकार विकसित किया जाना चाहिए कि सभी विद्यार्थियों को समान एवं गुणवत्तापूर्ण अधिगम अवसर प्राप्त हों।

NCF-SE 2023 का प्रमुख प्रावधान शिक्षार्थी-केंद्रित एवं लचीली पाठ्यचर्या है, जिसमें विद्यार्थियों की रुचि, क्षमता, भाषा तथा अधिगम गति के अनुरूप शिक्षण की व्यवस्था की गई है। साथ ही बहुभाषिक शिक्षा को प्रोत्साहित किया गया है, जिससे विभिन्न भाषाई पृष्ठभूमि के विद्यार्थी सहज रूप से सीख सकें। रूपरेखा सार्वभौमिक अधिगम अभिकल्प के सिद्धांतों को अपनाने की अनुशंसा करती है, ताकि शिक्षण सामग्री, गतिविधियाँ एवं मूल्यांकन सभी शिक्षार्थियों के लिए सुलभ और अनुकूल बन सकें।

इसके अतिरिक्त NCF-SE 2023 दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए आवश्यक सहायक संसाधनों, सुगम अवसंरचना, सहायक प्रौद्योगिकी तथा आवश्यक शैक्षणिक सहयोग उपलब्ध कराने पर बल देती है। इसमें शिक्षकों के सतत व्यावसायिक विकास, समावेशी शिक्षण कौशल तथा संवेदनशील दृष्टिकोण को भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। साथ ही योग्यता-आधारित एवं लचीली मूल्यांकन प्रणाली का समर्थन किया गया है, जिससे प्रत्येक शिक्षार्थी की वास्तविक अधिगम उपलब्धियों का समुचित आकलन हो सके।

NCF-SE 2023 में समावेशी शिक्षा से संबंधित प्रमुख प्रावधान कुछ इस प्रकार हैं -

- 1. सभी शिक्षार्थियों के लिए समान एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अधिकार-** प्रत्येक छात्र को उसकी पृष्ठभूमि, लिंग, भाषा, सामाजिक-आर्थिक स्थिति या दिव्यांगता की परवाह किए बिना समान अवसर प्रदान करना।
- 2. दिव्यांग विद्यार्थियों हेतु बाधरहित विद्यालयी वातावरण-** रैंप, सुलभ शौचालय, उपयुक्त फर्नीचर, सुरक्षित परिसर तथा सभी के लिए सुलभ अधिगम संसाधनों की व्यवस्था।
- 3. समावेशी शिक्षण-अधिगम एवं लचीली शिक्षण पद्धतियाँ-** विद्यार्थियों की विविध आवश्यकताओं के अनुसार विभेदित शिक्षण, बहुविध अधिगम अवसर तथा समावेशी कक्षा-कक्ष वातावरण।
- 4. मातृभाषा/स्थानीय भाषा को प्राथमिकता-** विशेषकर प्रारंभिक कक्षाओं में परिचित भाषा के माध्यम से अधिगम को प्रोत्साहित करना ताकि सभी बच्चे प्रभावी रूप से सीख सकें।
- 5. शिक्षकों का समावेशी व्यावसायिक विकास-** शिक्षकों को समावेशी शिक्षा, समानता, संवेदनशीलता तथा विविध शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षण प्रदान करना।
- 6. समानता, गरिमा एवं भेदभाव-रहित विद्यालय संस्कृति-** विद्यालय समुदाय में सम्मान, सहयोग, संवेदनशीलता तथा किसी भी प्रकार के भेदभाव के विरुद्ध सकारात्मक वातावरण विकसित करना।
- 7. समुदाय एवं अभिभावकों की सक्रिय सहभागिता-** विद्यालय, परिवार और स्थानीय समुदाय के सहयोग से समावेशी शिक्षा को प्रभावी बनाना।
- 8. RPwD Act, 2016 के अनुरूप प्रावधान-** दिव्यांग विद्यार्थियों के अधिकारों की रक्षा तथा समान शैक्षिक अवसर सुनिश्चित करना।
- 9. सहायक प्रौद्योगिकी एवं उपयुक्त शिक्षण संसाधनों का उपयोग-** आवश्यकता के अनुसार सहायक उपकरण, वैकल्पिक शिक्षण सामग्री तथा तकनीकी संसाधनों का उपयोग।
- 10. सभी प्रकार की विविधताओं का सम्मान-** केवल दिव्यांगता ही नहीं, बल्कि भाषा, संस्कृति, लिंग पहचान, प्रवासी पृष्ठभूमि तथा अन्य विविधताओं वाले विद्यार्थियों को भी समान महत्व देना (एनसीईआरटी, 2023)।

इस प्रकार, NCF-SE 2023 के प्रावधान समावेशी, न्यायसंगत, सुलभ एवं शिक्षार्थी-केंद्रित विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण आधार प्रदान करते हैं तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के समतामूलक शिक्षा के लक्ष्य को साकार करने में सहायक सिद्ध होते हैं।

समावेशी शिक्षा के क्रियान्वयन में आने वाली प्रमुख चुनौतियों का परीक्षण

भारत में समावेशी शिक्षा के लिए संवैधानिक प्रावधानों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 तथा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (विद्यालयी शिक्षा)-2023 के माध्यम से सुदृढ़ आधार उपलब्ध कराया गया है, फिर भी इसके प्रभावी क्रियान्वयन में अनेक संरचनात्मक, संसाधनगत तथा प्रशासनिक चुनौतियाँ विद्यमान हैं। विद्यालयों में दिव्यांग-अनुकूल आधारभूत सुविधाओं का अभाव समावेशी शिक्षा की दिशा में एक प्रमुख बाधा है। UDISE+ (2022) के अनुसार, सभी विद्यालयों में रैंप एवं सुलभ शौचालय जैसी आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हैं, जिसके कारण अनेक दिव्यांग विद्यार्थियों की विद्यालय तक पहुँच और नियमित सहभागिता प्रभावित होती है (UDISE+, 2022).

यद्यपि समग्र शिक्षा अभियान (2018) के अंतर्गत बाधा-मुक्त अवसंरचना, सहायक उपकरणों तथा समावेशी सुविधाओं के विकास के लिए वित्तीय प्रावधान किए गए हैं, किन्तु विभिन्न राज्यों में इनका क्रियान्वयन समान रूप से नहीं हो पाया है। विशेष रूप से ग्रामीण, पर्वतीय एवं जनजातीय क्षेत्रों में आधारभूत संसाधनों और आवश्यक सुविधाओं की कमी अधिक देखने को मिलती है (समग्र शिक्षा, 2018).

इसके अतिरिक्त, शिक्षा क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश अपेक्षाकृत कम होने के कारण समावेशी शिक्षा के विस्तार में भी कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं। शिक्षा पर सीमित व्यय का प्रभाव प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति, विद्यालयों को सुगम बनाने, सहायक उपकरणों की उपलब्धता तथा समावेशी शिक्षण प्रौद्योगिकियों के विकास पर पड़ता है। कोठारी आयोग (1966) द्वारा अनुशंसित तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 द्वारा पुनः बल दिए गए शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 6% व्यय के लक्ष्य की तुलना में वर्तमान निवेश कम होने से समावेशी शिक्षा के प्रभावी क्रियान्वयन में संसाधन संबंधी चुनौतियाँ बनी हुई हैं (कोठारी आयोग, 1966; NEP, 2020).

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (NCF-SE 2023) समावेशी शिक्षा को विद्यालयी शिक्षा का महत्वपूर्ण आधार मानती है, किन्तु इसके प्रभावी क्रियान्वयन में अनेक व्यावहारिक चुनौतियाँ सामने आती हैं। प्रमुख चुनौतियाँ निम्नलिखित हैं—

- 1. प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी-** अनेक विद्यालयों में शिक्षकों को समावेशी शिक्षण, विविध अधिगम आवश्यकताओं तथा दिव्यांग विद्यार्थियों के साथ कार्य करने का पर्याप्त प्रशिक्षण प्राप्त नहीं है।
- 2. अपर्याप्त आधारभूत संरचना-** रैंप, लिफ्ट, सुगम शौचालय, ब्रेल संकेतक तथा अन्य सुलभ सुविधाओं का अभाव समावेशी शिक्षा के प्रभावी संचालन में बाधा उत्पन्न करता है।
- 3. शिक्षण-अधिगम संसाधनों की कमी-** ब्रेल पुस्तकें, सांकेतिक भाषा सामग्री, सहायक तकनीकी उपकरण तथा अनुकूलित शिक्षण सामग्री सभी विद्यालयों में उपलब्ध नहीं हैं।
- 4. बड़ी कक्षा एवं शिक्षक-विद्यार्थी अनुपात-** अधिक छात्र संख्या के कारण प्रत्येक विद्यार्थी की व्यक्तिगत आवश्यकताओं पर पर्याप्त ध्यान देना कठिन हो जाता है।
- 5. सामाजिक पूर्वाग्रह एवं नकारात्मक दृष्टिकोण-** दिव्यांग एवं वंचित वर्गों के विद्यार्थियों के प्रति समाज तथा कभी-कभी विद्यालय समुदाय में भी पूर्वाग्रह समावेशन की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं।
- 6. शिक्षक प्रशिक्षण का अभाव-** सेवारत एवं पूर्व-सेवा शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों में समावेशी शिक्षा से संबंधित व्यावहारिक प्रशिक्षण अपेक्षाकृत सीमित है।
- 7. लचीले मूल्यांकन की चुनौतियाँ-** सभी विद्यार्थियों की विविध क्षमताओं के अनुरूप मूल्यांकन प्रणाली विकसित करना अभी भी अधिकांश विद्यालयों के लिए चुनौती बना हुआ है।
- 8. सहायक प्रौद्योगिकी का सीमित उपयोग-** डिजिटल उपकरण, स्क्रीन रीडर, श्रवण यंत्र तथा अन्य सहायक तकनीकों की उपलब्धता और उपयोग पर्याप्त नहीं है।

9.अभिभावकों एवं समुदाय की सीमित सहभागिता- समावेशी शिक्षा की सफलता के लिए परिवार एवं समुदाय का सहयोग आवश्यक है, किन्तु अनेक स्थानों पर उनकी सक्रिय भागीदारी का अभाव देखा जाता है।

10.वित्तीय एवं प्रशासनिक सीमाएँ- पर्याप्त बजट, संसाधनों के समुचित वितरण तथा प्रभावी प्रशासनिक निगरानी के अभाव में समावेशी कार्यक्रमों का क्रियान्वयन प्रभावित होता है।

11.ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों की चुनौतियाँ- ग्रामीण विद्यालयों में प्रशिक्षित मानव संसाधन, विशेष शिक्षकों, तकनीकी सुविधाओं तथा आधारभूत अवसंरचना की कमी अधिक दिखाई देती है।

12.नीतियों एवं व्यवहार के बीच अंतर- यद्यपि NCF-SE 2023 समावेशी शिक्षा के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश प्रदान करती है, फिर भी अनेक विद्यालयों में इन प्रावधानों का प्रभावी एवं समान रूप से क्रियान्वयन नहीं हो पाता।

उपरोक्त चुनौतियाँ स्पष्ट करती हैं कि समावेशी शिक्षा का उद्देश्य केवल नीतियाँ बनाना नहीं, बल्कि पर्याप्त संसाधनों, प्रशिक्षित शिक्षकों, संवेदनशील दृष्टिकोण तथा प्रभावी प्रशासनिक सहयोग के माध्यम से उन्हें व्यवहार में सफलतापूर्वक लागू करना भी है।

NCF-SE 2023 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु व्यावहारिक सुझाव

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (NCF-SE 2023) के अंतर्गत समावेशी शिक्षा के उद्देश्यों की प्रभावी प्राप्ति के लिए केवल नीतिगत प्रावधान पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि उनके सफल क्रियान्वयन हेतु समन्वित एवं व्यावहारिक प्रयास आवश्यक हैं। इस दिशा में निम्नलिखित सुझाव उपयोगी हो सकते हैं—

1.शिक्षकों का सतत व्यावसायिक विकास

सभी शिक्षकों को समावेशी शिक्षण, सार्वभौमिक अधिगम अभिकल्प (UDL), विभेदित शिक्षण तथा दिव्यांग-अनुकूल शिक्षण विधियों का नियमित प्रशिक्षण प्रदान किया जाए।

2.विद्यालयी अवसंरचना को सुगम बनाना

सभी विद्यालयों में रैंप, लिफ्ट, दिव्यांग-अनुकूल शौचालय, ब्रेल संकेतक, स्पर्शनीय मार्ग तथा अन्य आवश्यक सुविधाएँ विकसित की जाएँ, जिससे प्रत्येक शिक्षार्थी की सहज पहुँच सुनिश्चित हो सके।

3.सहायक प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग

ब्रेल सामग्री, स्क्रीन रीडर, श्रवण यंत्र, डिजिटल शिक्षण सामग्री, सांकेतिक भाषा संसाधन तथा अन्य सहायक तकनीकों की उपलब्धता और उपयोग को बढ़ावा दिया जाए।

4.लचीली एवं शिक्षार्थी-केंद्रित शिक्षण प्रक्रिया

विद्यार्थियों की रुचि, क्षमता, भाषा एवं अधिगम गति के अनुरूप विविध शिक्षण विधियों, गतिविधि-आधारित शिक्षण तथा अनुभवात्मक अधिगम को अपनाया जाए।

5.समावेशी मूल्यांकन प्रणाली का विकास

मूल्यांकन को केवल परीक्षा तक सीमित न रखते हुए परियोजना कार्य, पोर्टफोलियो, मौखिक प्रस्तुति, अवलोकन तथा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जैसी विविध विधियों को अपनाया जाए।

6.अभिभावकों एवं समुदाय की सक्रिय सहभागिता

विद्यालय, अभिभावक, स्थानीय समुदाय तथा स्वयंसेवी संस्थाओं के बीच समन्वय स्थापित कर समावेशी शिक्षा के प्रति जागरूकता एवं सहयोग को बढ़ाया जाए।

7. पर्याप्त वित्तीय एवं प्रशासनिक सहयोग

समावेशी शिक्षा हेतु आवश्यक बजट, संसाधनों, विशेष शिक्षकों तथा निगरानी तंत्र की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, जिससे नीतियों का प्रभावी क्रियान्वयन हो सके।

8. नियमित निगरानी एवं मूल्यांकन

NCF-SE 2023 के प्रावधानों के कार्यान्वयन की समय-समय पर समीक्षा की जाए तथा प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाए जाएँ।

9. बहुभाषिक एवं समावेशी अधिगम वातावरण

विद्यालयों में मातृभाषा आधारित शिक्षण, सांस्कृतिक विविधता का सम्मान तथा भेदभाव-मुक्त वातावरण विकसित किया जाए, जिससे प्रत्येक विद्यार्थी सम्मान और आत्मविश्वास के साथ सीख सके।

10. नीति एवं व्यवहार के बीच समन्वय

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020, NCF-SE 2023 तथा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 के प्रावधानों को विद्यालय स्तर पर प्रभावी रूप से लागू करने के लिए स्पष्ट कार्ययोजना, उत्तरदायित्व निर्धारण तथा संस्थागत सहयोग सुनिश्चित किया जाए।

संदर्भ ग्रंथ

1. भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय. (2020). *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020*. नई दिल्ली: भारत सरकार.
2. भारत सरकार. (2016). *दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016*. नई दिल्ली: भारत सरकार.
3. फ्रैंक, डी., कौर, ए., एवं श्रीवास्तव, पी. (2025). *भारत में समावेशी शिक्षा: एनईपी 2020 एवं NCF-SE 2023 के अंतर्गत वंचित एवं दिव्यांग शिक्षार्थियों के लिए शैक्षिक अवसरों को सुदृढ़ बनाने की रणनीतियाँ*। इन एजुकेशनल ट्रांसफॉर्मेशन: रिफ्लेक्शन्स ऑन एनईपी 2020 एंड NCF-SE 2023 (अध्याय 13). <https://doi.org/10.25215/9358792035.13>
4. कास्ट . (2024). *यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग दिशानिर्देश, संस्करण 3.0*. कास्ट .
5. पॉल, डी., एवं रॉय, एस. के. (2026). *इन्क्लूसिव एजुकेशन इन इंडिया: हिस्टोरिकल इवोल्यूशन एंड कंटेम्परेरी प्रैक्टिसेज टुवर्ड लर्निंग विडाउट बाउंड्रीज*. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एजुकेशन, कल्चर एंड सोसाइटी, 11(2).
6. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद. (2023). *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा: विद्यालयी शिक्षा (NCF-SE 2023)*. नई दिल्ली: लेखक
7. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद. (2006). *विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा पर राष्ट्रीय फोकस समूह की स्थिति-पत्रिका*. नई दिल्ली: एनसीईआरटी.
8. रंगराजन, आर., शर्मा, यू., एवं ग्रोवे, सी. (2025). राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में समावेशन और समानता: कॉन्टेक्स्ट-लेड मॉडल ऑफ एजुकेशन क्वालिटी के आधार पर विश्लेषण। *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इन्क्लूसिव एजुकेशन*, 29(6), 975–995. <https://doi.org/10.1080/13603116.2023.2295907>
9. संयुक्त राष्ट्र. (2006). *दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय*. न्यूयॉर्क: संयुक्त राष्ट्र.
10. यूनेस्को. (1994). *सलामांका वक्तव्य एवं विशेष आवश्यकताओं वाली शिक्षा हेतु कार्य रूपरेखा*. पेरिस: यूनेस्को.
11. यूनेस्को. (2020). *वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट 2020: समावेशन एवं शिक्षा – सभी के लिए शिक्षा*. पेरिस: यूनेस्को.
11. यूनेस्को. (2020). *वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट 2020: समावेशन एवं शिक्षा – सभी के लिए शिक्षा*. पेरिस: यूनेस्को

Disclaimer/Publisher's Note: The views, findings, and opinions expressed in this publication are solely those of the author(s). The publisher and editorial team are not responsible for any errors, claims, or consequences arising from the use of the published content.